संख्या-47/2016/520/41-2016-43 यो0/15

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 22 मार्च, 2016**

विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के विभिन्न स्मारकों पर फसाड लाइटिंग लगवाये जाने की योजनाओं के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-2351/601-1-1(769)/2015, दिनांक 16-03-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में ग्रैंड पोस्ट ऑफिस की फसाड लाइटिंग का कार्य एवं लखनऊ में चर्च की फसाड लाइटिंग के कार्य हेतु तथा लखनऊ में सिकंदरबाग गेट की फसाड लाइट लगवाये जाने की योजनाओं के लिए कॉलम-3 में अंकित कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कालम'-4 तथा 5 में उल्लिखित विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0	लखनऊ के विभिन्न स्मारकों पर फसाड लाइटिंग लगवाये जाने का कार्य।	**कार्यदायी संस्था**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**वित्तीय स्वीकृति**
-1-	**-2-**	**-3-**	**-4-**	**-5-**
1	जनपद लखनऊ में ग्रैंड पोस्ट ऑफिस की फसाड लाइटिंग का कार्य ।	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।	144.79	144.79
2	लखनऊ में चर्च की फसाड लाइटिंग का कार्य ।	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।	163.48	163.48
3	लखनऊ में सिकंदरबाग गेट की फसाड लाइटिंग का कार्य।	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।	126.23	126.23

1- स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत कार्य तभी प्रारम्भ किये जायेगे जब नगर निगम द्वारा उक्त कार्य के अनुरक्षण एवं नियमित विद्युत बिलों का भुगतान (आवर्तक व्यय) की जिम्मेदारी लेते हुए सहमति पत्र महानिदेशक, पर्यटन व शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त प्रमाण पत्र (सहमति प्रमाण पत्र) उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था व महानिदेशक, पर्यटन का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

4- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6- संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

3. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-104-सवंर्धन तथा प्रचार-80-सामान्य-06-हेरिटेज गोल्डेन आर्क योजना, लखनऊ-0602-स्मारकों पर फसाड लाइटिंग-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या-47/2016/520(1)/41-2016 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ।
11- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in